भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 914

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**न्यायालयों में रिक्तियां**

**914. श्री रामकुमार वर्मा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के विभिन्न जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार की भारत के विभिन्न न्यायालयों में रिक्तियों को भरने की कोई याजेना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिक्तियों के ब्यौरों का विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है और उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार देश में विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों के ब्यौरों का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है ।

**(ख) :** भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अधीन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) और 224 के अधीन की जाती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रक्रिया-ज्ञापन के उपबंध के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलिजियम से परामर्श के पश्चात् और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय के कॉलिजियम के परामर्श के पश्चात् क्रमशः उच्चतम न्यायालय और सम्बद्ध उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावों का आरम्भ किया जाता है । उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और न्यायाधीशों की पदोन्नति, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, के कारण रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं । सांवैधानिक कार्य-ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति सम्बद्ध उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध – 1**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 914 जिसका उत्तर तारीख 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**01.12.2017 को यथाविद्यमान उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां ।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **न्यायालय का नाम** | **01.12.2017 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की रिक्तियां ।** |
| 1. | भारत का उच्चतम न्यायालय | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **01.12.2017 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की रिक्तियां ।** |
| 1. | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 51 |
| 2. | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 39 |
| 3. | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 37 |
| 4. | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 35 |
| 5. | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 30 |
| 6. | दिल्ली उच्च न्यायालय | 23 |
| 7. | बोम्बे उच्च न्यायालय | 21 |
| 8. | गुजरात उच्च न्यायालय | 21 |
| 9. | पटना उच्च न्यायालय | 20 |
| 10. | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 19 |
| 11. | मद्रास उच्च न्यायालय | 15 |
| 12. | राजस्थान उच्च न्यायालय | 15 |
| 13. | झारखंड उच्च न्यायालय | 11 |
| 14. | केरल उच्च न्यायालय | 10 |
| 15. | ओडीसा उच्च न्यायालय | 10 |
| 16. | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 10 |
| 17. | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | 06 |
| 18. | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | 06 |
| 19. | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 05 |
| 20. | मणिपुर उच्च न्यायालय | 03 |
| 21. | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 02 |
| 22. | मेघालय उच्च न्यायालय | 02 |
| 23. | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 01 |
| 24. | सिक्किम उच्च न्यायालय | 00 |
| **कुल** | | **392** |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध – 2**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 914 जिसका उत्तर तारीख 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **30.11.2017 को यथाविद्यमान रिक्तियां** |
| **1** | **उत्तर प्रदेश** | **1.344** |
| **2** | **बिहार\*\*** | **825** |
| **3** | **मध्य प्रदेश** | **748** |
| **4** | **गुजरात\*\*** | **385** |
| **5** | **तमिलनाडू\*** | **341** |
| **6** | **कर्नाटक\*\*** | **325** |
| **7** | **दिल्ली \*\*** | **316** |
| **8** | **झारखंड\*\*** | **251** |
| **9** | **ओडिसा** | **204** |
| **10** | **महाराष्ट्र** | **149** |
| **11** | **हरियाणा** | **147** |
| **12** | **पंजाब** | **136** |
| **13** | **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना \*\*** | **114** |
| **14** | **राजस्थान\*\*** | **96** |
| **15** | **पश्चिमी बंगाल और अदंमान और निकोबार द्वीप\*\*** | **84** |
| **16** | **असम** | **76** |
| **17** | **केरल\*\*** | **73** |
| **18** | **छत्तीसगढ़** | **63** |
| **19** | **उत्तराखंड\*\*** | **61** |
| **20** | **मेघालय** | **58** |
| **21** | **जम्मू और कश्मीर** | **39** |
| **22** | **मिजोरम** | **33** |
| **23** | **त्रिपुरा** | **31** |
| **24** | **मणिपुर** | **18** |
| **25** | **पुडूंचेरी\*** | **14** |
| **26** | **गोवा** | **12** |
| **27** | **अरुणाचल प्रदेश** | **11** |
| **28** | **नागालैंड** | **11** |
| **29** | **हिमाचल प्रदेश\*\*** | **10** |
| **30** | **सिक्किम\*\*** | **8** |
| **31** | **लक्ष्यद्वीप\*\*** | **1** |
| **32** | **चंदीगढ़** | **0** |
| **33** | **दादर और नागर हवेली दमन और दीव \*\*** | **0** |
| **कुल** | | **5,984** |

**\* 7.11.2017 को यथाविद्यमान**

**\*\* 31.10.2017 को यथाविद्यमान**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***